न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
31 / 2025 / प्रा.पत्र / 2025	02.04.2025	15.05.2025

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री अतीश मंगल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश मालिक / एफ.बी.ओ. मैसर्स मंगल ट्रेडर्स चर्च रोड देवली जिला टोंक(राज0) निवासी चर्च रोड देवली जिला टोंक (राज0)। पिनकोड–304023 मोबाईल नं0 9887019190।

2–श्रीमति संतोष राठी पत्नि श्री जेठ मल राठी प्रोपरायटर मैसर्स अन्नकूट फूड प्रोडक्ट एच–56, रीको औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर रोड मथानिया जोधपुर राज0 पिनकोड–342305 निवासी 10, हनुमान कालोनी चौमू हाउस के पीछे मंडोर रोड खेतानाडी जोधपुर मोबाईल नं0 9829026558।

.......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण श्री अतीश मंगल एवं जेठ मल राठी उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 15/5/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.01.2025 को समय 02:19 पी.एम. पर मैसर्स मंगल ट्रेडर्स चर्च रोड देवली जिला टोंक (राज0)पर पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता की हैसियत से श्री अतीश मंगल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश मंगल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स मंगल ट्रेडर्स चर्च रोड देवली जिला टोंक(राज0) पर खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री अतीश मंगल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश मंगल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री अतीश मंगल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश मंगल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री अतिश मंगल की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसाले, दाले, नमकीन, कन्फैक्शनरी आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **धनिया पावडर अन्नकूट ब्राण्ड(Coriander Powder Annakoot Brand)** 500–500 ग्राम के 9 नग दुकान की रैंक में रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेताश्री अतीश मंगल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश मंगल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री अतीश मंगल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश मंगल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **धनिया पावडर अन्नकूट ब्राण्ड** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान की रैंक में 500–500 ग्राम के 35 पॉलीपैक में से 4 नग प्रत्येक 500–500 ग्राम **धनिया पावडर अन्नकूट ब्राण्ड(Coriander Powder Annakoot Brand)** जिसके बैच नं0 08 एवं पैंकिग की दिनांक नवम्बर 2024 थी, को ज्यों का त्यों 500–500 ग्राम के 4 पॉली पैक कुल 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर अन्नकूट ब्राण्ड(Coriander Powder Annakoot Brand)** 500–500 ग्राम के 4 नग पॉलीपैक, ज्यों का त्यों साफ प्रिटेड लेकर 4 नग पॉलीपैक में से 500–500 ग्राम के एक–एक नग नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4231 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4231नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अतीश मंगल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश मालिक/एफ.बी.ओ. मैसर्स मंगल ट्रेडर्स चर्च रोड देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स अन्नकूट फूड प्रोडक्ट एच–56, रीको औद्योगिक क्षैत्र जोधपुर रोड मथानिया जोधपुर राज0 का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/189 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/154/एक्ट/2025/219 दिनांक 05.02.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **धनिया पावडर अन्नकूट ब्राण्ड(Coriander Powder Annakoot Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण श्री अतीश मंगल एवं जेठ मल राठी उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर अन्नकूट ब्राण्ड(Coriander Powder Annakoot Brand)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त **धनिया पावडर अन्नकूट ब्राण्ड (Coriander Powder Annakoot Brand)** जांच में धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक **(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **धनिया पावडर अन्नकूट ब्राण्ड (Coriander Powder Annakoot Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/5/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक